समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर (शिविर भोपाल)

निगरानी 1710-PBR-15

राजस्व पुनरीक्षण याचिका क्रं. :- /2015

प्रस्तुत दिनांक :- 23-6-15

याचिकाकर्तागण:- 1. गोविन्द पालीवाल आयु-48 साल आ. हरिप्रसाद पालीवाल निवासी रहटगांव तहसील रहटगांव जिला हरदा

2. श्रीमति वंदा पालीवाल आयु लगभग 46 साल पत्नि नीरज पालीवाल पुत्रि स्व. हरिप्रसाद पालीवाल चावन पाठा तहसील बरेली जिला नरसिंहपुर

बनाम

उत्तरवादीगण :- 1. म.प्र.शासन शिक्षा विभाग द्वारा जिलाधीश हरदा जिला हरदा

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी

श्री संदीप दुबे अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 24-6-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
24-6-15

26-6-15

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू रा.सं. 1959

याचिकाकर्तागण निम्न निवेदन करते है :-

माननीय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालय मे निर्णीत राजस्व प्र.क्रं. 210/अपीलवर्ष 2014-15 मे उभयपक्षो के मध्य पारित आदेश दिनांक-2-6-15 से असंतुष्ट होकर जिसमे न्यायालय जिलाधीश हरदा के प्र.क्रं. 6अ/19 वर्ष 2014-15 मे पारित आदेश दिनांक-17-4-15 से परिवेदित होकर अपील पेश की गई थी, के विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका निम्न विधि आधारो पर प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1710—पीबीआर/15 **जिला** हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26—8—2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 2—6—2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रकरण में दानपत्र के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजन के लिए प्रश्नाधीन भूमि दान में दी गई है और कलेक्टर द्वारा उच्च शिक्षा के प्रयोजन हेतु भूमि महाविद्यालय को दी गई है तथा वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0 शासन शिक्षा विभाग के नाम पर दर्ज है । अतः दानदाता द्वारा जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई थी, उसी प्रयोजन में लाई जा रही है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा अपील विचार योग्य नहीं होने से निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	